ए.

संयुक्त कर्मचारी आयुक्त और पंजीकरण अधिकारी और ए. एन. आर.

बनाम

केसर लाल

(2020 की सिविल अपील संख्या 2014)

बी.

17 मार्च, 2020

[डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़ और अजय रस्तोगी**,** जे**.** जे**.]**

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 -एस. 2 (डी) और 2 (1) (ओ)-'उपभोक्ता'-यदि किसी वैधानिक कल्याण योजना के लाभार्थी शामिल हैं-संसद ने रोजगार, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों की सेवा शर्तों को विनियमित करने और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपायों को प्रदान करने के लिए 1996 का अधिनियम अधिनियमित किया-इसके अनुसार, राजस्थान राज्य ने 2009 के नियम बनाए-राजस्थान भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया-लाभार्थी की बेटी के विवाह के अवसर पर वित्तीय सहायता प्रदान किए गए अधिनियम के तहत पंजीकृत लाभार्थियों के लिए बोर्ड द्वारा तैयार की गई योजनाओं में से एक-प्रत्यर्थी ने पंजीकरण शुल्क के रूप में Rs.25 और वार्षिक योगदान के रूप में Rs.60 अपास्त करना के बाद अपीलार्थियों से श्रम लाभार्थी पहचान पत्र प्राप्त किया-अपनी बेटी के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन-अस्वीकार कर दिया गया।बोर्ड के कार्य एस के अर्थ के भीतर 'सेवा' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।2(1)(ओ)-अपवाद एक निःशुल्क प्रदान की जाने वाली सेवा है-1996 अधिनियम के तहत पंजीकृत श्रमिक बोर्ड द्वारा बनाई गई योजनाओं के लाभार्थी हैं-पंजीकरण के बाद, प्रत्येक कर्मचारी को प्रति माह उस दर पर निधि में योगदान करना आवश्यक है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है-निधि का उपयोग कानून द्वारा अधिकृत उद्देश्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है-सही परीक्षण यह नहीं है कि लाभार्थी द्वारा योगदान की गई राशि योजना के तहत परिकल्पित व्यय की पूरी लागत को चुकाने के लिए पर्याप्त है या नहीं-जब तक प्रदान की गई सेवा निःशुल्क नहीं है, तब तक सेवा की कोई भी कमी उपभोक्ता अधिनियम-

यू/एस के तहत गठित निवारण के लिए मंचों के लिए उत्तरदायी है।2(1)((घ) 'उपभोक्ता' में केवल वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने काम पर रखा है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

176 ए.

177

ज्वाइंट लेबर कमिश्नर। और पंजीकरण अधिकारी बनाम केसर लाल ए

या सेवा का लाभ उठाया लेकिन किसी सेवा का लाभार्थी भी-संसद के एक अधिनियम के तहत गठित अपीलार्थियों जैसे सार्वजनिक प्राधिकरणों को पंजीकृत श्रमिकों को कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने का एक गंभीर कर्तव्य सौंपा गया है-उपभोक्ता अधिनियम के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक जवाबदेही एक महत्वपूर्ण विचार है-एन. सी. डी. आर. सी.-भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996-एस. द्वारा ब्याज दर में संशोधन के अधीन, दावा देने के राज्य आयोग के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।2(बी), (के), 11,12,16-18,22,24-भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 1998-राजस्थान भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2009-आरआर।43-45, 52, 58 – भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996।

बी.

सी.

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा**,**

डी.

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** किसी सेवा के संबंध में**,** अभिव्यक्ति की परिभाषा में पहले भाग में कोई भी व्यक्ति शामिल है जो किसी ऐसे प्रतिफल के लिए किसी सेवा को नियुक्त करता है या उसका लाभ उठाता है जिसका भुगतान या वादा किया गया है **(**पूरी तरह से या आंशिक

रूप से)।इसके बाद के घटक में, परिभाषा में उस व्यक्ति के अलावा ऐसी सेवा का लाभार्थी शामिल है जो वास्तव में भुगतान या वादे के लिए सेवा का लाभ उठाता है, जब तक कि ऐसी सेवाओं का लाभ उस व्यक्ति के अनुमोदन से लिया जाता है जो सेवा को नियुक्त करता है या लाभ उठाता है।धारा **2 (घ) (ii)** में अभिव्यक्ति के प्रथम घटक की सीमा का विस्तार बाद के घटक में समावेशी परिभाषा द्वारा किया गया है।'लाभार्थी' शब्द को धारा **2 (**बी**),** भवन और अन्य निर्माण श्रमिक **(**रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन**)** अधिनियम**, 1996** में परिभाषित किया गया है**,** जिसका अर्थ है 'धारा **12** के तहत पंजीकृत एक भवन श्रमिक'।'निधि' पद को धारा **2 (**के**)** में 'धारा **24** की उप**-**धारा **(1)** के तहत गठित बोर्ड का भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण निधि' के रूप में परिभाषित किया गया है।इसलिए**,** प्रत्येक भवन निर्माण कर्मचारी जो अधिनियम के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत है**,** वह निधि से बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए लाभों का हकदार है।धारा **16** की उप**-**धारा **(1)** के तहत एक वर्ष से कम की निरंतर अवधि के लिए योगदान का भुगतान न करने का प्रभाव यह है कि धारा **17** के तहत व्यक्ति लाभार्थी नहीं रह जाता है।हालांकि**,** परंतुक के तहत**,** एक व्यक्ति

ई.

एफ.

जी.

एच.

यदि योगदान का भुगतान न करने के संबंध में बोर्ड के सचिव को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त आधार था**,** जिस पर पंजीकरण बहाल किया जाना है**,** तो जो चूक में है**,** उसे बकाया जमा करने की अनुमति है।धारा **22** बोर्ड के कार्यों के लिए प्रावधान करती है।धारा **24** के तहत**,** क़ानून ने एक कल्याणकारी निधि के गठन के लिए प्रावधान किया है जिसमें **(i)** केंद्र सरकार द्वारा बोर्ड को दिए गए अनुदान और ऋण**; (ii)** लाभार्थियों द्वारा किए गए योगदान**;** और **(iii)** केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए अन्य स्रोतों से बोर्ड द्वारा प्राप्त राशि जमा की जाती है।निधि का उपयोग धारा **24** की उप**-**धारा **(2)** के तहत बोर्ड के वैधानिक कार्यों के निर्वहन में खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है**;** वेतन**,** भत्ते और पारिश्रमिक के भुगतान के लिए और अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों और उद्देश्यों पर खर्चों को पूरा करने के लिए। **2009** के नियम नियम बनाने की शक्ति को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के संदर्भ में बनाए गए हैं।नियम **43** में कल्याण कोष के गठन का प्रावधान है।नियम **44** में भवन निर्माण श्रमिकों को लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत करने का प्रावधान है।नियम **45** में निधि में योगदान का प्रावधान है।नियम **52** निधि से व्यय का प्रावधान करता है।नियम **58** के तहत**,** बोर्ड को लाभों के संबंध में योजनाओं को अधिसूचित करने का अधिकार है।बोर्ड को विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं जिन्हें धारा **22** में परिभाषित किया गया है।ये कार्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

1986 की धारा **2 (1) (**ओ**)** के अर्थ के भीतर 'सेवा' अभिव्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।'सेवा' अभिव्यक्ति को व्यापक संभव शब्दों में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है 'किसी भी विवरण की सेवा जो संभावित उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराई गई है'।धारा **2 (1) (**ओ**)** में अपवाद एक ऐसी सेवा है जो निःशुल्क प्रदान की जाती है।**1996** के अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत श्रमिक बोर्ड द्वारा बनाई गई योजनाओं के लाभार्थी हैं।पंजीकरण के बाद**,** प्रत्येक कर्मचारी को प्रति माह ऐसी दर से निधि में योगदान करना आवश्यक है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए।जिस कोष में अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा योगदान भेजा जाता है**,** उसमें अन्य स्रोतों के साथ**-**साथ लाभार्थियों द्वारा किया गया योगदान भी शामिल है।इस निधि का उपयोग अन्य बातों के साथ**-**साथ कानून द्वारा अधिकृत उद्देश्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है।वैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए**,** बोर्ड द्वारा लाभार्थियों को दी जाने वाली सेवाएं ए नहीं हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

179

ज्वाइंट लेबर कमिश्नर। और पंजीकरण अधिकारी बनाम केसर लाल ए

ऐसी सेवाएँ जो निःशुल्क प्रदान की जाती हैं ताकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम **1986** की धारा **2 (1) (**ओ**)** और धारा **2 (**डी**) (2)** में निहित वैधानिक परिभाषा से अपवर्जन हो। वास्तविक परीक्षा यह नहीं है कि लाभार्थी द्वारा योगदान की गई राशि योजना के तहत परिकल्पित व्यय की पूरी लागत का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है या नहीं।जब तक प्रदान की गई सेवा निःशुल्क प्रदान नहीं की जाती है**,** तब तक सेवा की कोई भी कमी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम **1986** के तहत गठित निवारण मंचों के लिए उत्तरदायी है।अधिनियम में इस बात की जांच की आवश्यकता नहीं है कि क्या सेवा प्रदान करने की लागत पूरी तरह से सेवा का लाभ उठाने के लिए भुगतान की गई कीमत से अलग है।धारा **2 (1) (**डी**)** में निहित परिभाषा के तहत**,** एक 'उपभोक्ता' में न केवल एक व्यक्ति शामिल है जिसने सेवा को काम पर रखा है या उसका लाभ उठाया है**,** बल्कि एक सेवा का लाभार्थी भी शामिल है।पंजीकृत कर्मचारी स्पष्ट रूप

से बोर्ड द्वारा वैधानिक क्षमता में प्रदान की जाने वाली सेवा के लाभार्थी हैं।**[**पैरा **12,13] [191-**सी-ई**; 196-**सी-एफ**; 197-**ए-सी**; 198-**सी-एफ**; 199-**बी-एच**]**

बी.

सी.

डी.

1.2 व्याख्या के रूप में**,** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम **1986** में निहित प्रावधानों का अर्थ उद्देश्यपूर्ण तरीके से लगाया जाना चाहिए।संसद ने वस्तुओं और सेवाओं दोनों के उपभोक्ताओं को एक हितकारी उपाय प्रदान किया है।संसद के एक अधिनियम के तहत गठित किए गए अपीलार्थियों जैसे सार्वजनिक प्राधिकरणों को पंजीकृत श्रमिकों को कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने का एक गंभीर कर्तव्य सौंपा गया है।बोर्ड के साथ पंजीकृत कर्मचारी योगदान करते हैं जिसके आधार पर वे बोर्ड द्वारा अधिसूचित योजनाओं के संदर्भ में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाने के हकदार होते हैं।सार्वजनिक जवाबदेही एक महत्वपूर्ण विचार है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम **1986** के प्रावधानों को रेखांकित करता है।अधिनियम के संबंध में न्यायशास्त्र का विकास गैर**-**संप्रभु कार्यों के निर्वहन के संदर्भ में उपभोक्ताओं को निवारण की अनुमति देकर सार्वजनिक जवाबदेही की भावना सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दर्शाता है जो मुफ्त में प्रदान नहीं किए जाते हैं।यह परीक्षण वर्तमान मामले में विधिवत पूरा किया जाता है। राष्ट्रीय आयोग के आदेश द्वारा ब्याज दर में संशोधन के अधीन**,** दावा देने के राज्य आयोग के अंतिम निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।**[**पारस **14,15] [200-**ए**-**डी**]**

ई.

एफ.

जी.

एच.

क्षेत्रीय भविष्य आयुक्त बनाम शिव कुमार जोशी

(2000) 1 एससीसी 98:[1999] 5 पूरक।एस. सी. आर. 294; केनरा

बैंक बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **2020** एससीसी ऑनलाइन एससी **132;** लखनऊ विकास प्राधिकरण

बनामएम. के. गुप्ता (1994) 1 एससीसी 243:[1993] 3 पूरक।

एस**.** सी**.** आर**. 615;** पंजाब शहरी योजना और विकास प्राधिकरण **(**अब गलाडा**)** बनाम विद्या चेतल **(2019) 9** एस**.** सी**.** सी**.**

बी.

83 :[2019] 12 एससीआर 516; राष्ट्रीय अभियान

निर्माण पर केंद्रीय विधान के लिए समिति

श्रम बनाम भारत संघ (2018) 5 एस. सी. सी. 607:[2018] 9 एस. सी. आर. 204-पर निर्भर।

सी.

बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड बनाम सुरेश प्रसाद

सिन्हा (2009) 8 एससीसी 483:[2009] 13 एससीआर 1239;

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बनाम भवानी

(2008) 7 एससीसी 111:[2008] 6 एससीआर 767; मंत्रालय

जल संसाधन बनाम श्रीपत राव कामडे का निर्णय

उच्चतम न्यायालय डी**.** टी**.** डी**.06.11.2019 2019** की सिविल अपील संख्या **8472** में**;** हुडा बनाम सुनीता **(2005) 2** एससीसी **479;**

डी.

जगमितर सैन भगत बनाम निदेशक, स्वास्थ्य सेवा,

हरियाणा (2013) 10 एससीसी 136:[2013] 8 एस. सी. आर. 77-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

ई.

[2009] 13 एससीआर **1239**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6 (vii)**

[1999] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 294** पैरा **6 (viii) [2008] 6** एस**.** सी**.** आर**. 767** पर निर्भर था।

संदर्भित किया गया है

पैरा **6 (viii)**

[2019] 12 एससीआर **516**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **8**

एफ.

[1993] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 615** पैरा **8 [2018] 9** एस**.** सी**.** आर**. 204** पर निर्भर था

पर भरोसा किया गया |

पैरा **10**

(2005) 2 एस**.** सी**.** सी**. 479**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

[2013] 8 एससीआर **77**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

जी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2020 की सिविल अपील सं. 2014।

2019 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 2312 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 25.10.2019 के निर्णय और आदेश से।

एच.

181

ज्वाइंट लेबर कमिश्नर। और पंजीकरण अधिकारी बनाम केसर लाल ए

ए.

डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, डी. के. देवेश, संदीप कुमार झा, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

पी. वी. दिनेश, एड. (एसी), सुश्री सिंधु टी. पी., मुकुंद पी. उन्नी, बिनेश के., अश्विनी कुमार सिंह, सी. सनल नांबियार, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1.इस अपील में जिस स्पष्ट मुद्दे पर निर्णय लिया जाना है, वह यह है कि क्या एक निर्माण श्रमिक जो भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के तहत पंजीकृत है और अधिनियम के अनुसार बनाए गए नियमों के तहत बनाई गई योजना का लाभार्थी है, वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 (डी) के अर्थ के भीतर एक 'उपभोक्ता' है।यह मुद्दा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उत्तर यह निर्धारित करेगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपचारों को लागू करके किसी वैधानिक कल्याण योजना का लाभार्थी सटीक जवाबदेही का हकदार है या नहीं।

सी.

डी.

2. संसद ने 1996 का अधिनियम "भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के रोजगार और सेवा की शर्तों को विनियमित करने और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपायों और उससे जुड़े या उससे संबंधित अन्य मामलों के लिए प्रदान करने के लिए" अधिनियमित किया।धारा 40 और 62 द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्तियों के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 1998 बनाए हैं। राजस्थान राज्य ने 2009 में राजस्थान भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम भी बनाए हैं। धारा 18 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, राज्य सरकार ने राजस्थान भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया।कल्याण बोर्ड ने अधिनियम के तहत पंजीकृत लाभार्थियों के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं। 1 अगस्त 2011 को तैयार की गई योजनाओं में से एक योजना लाभार्थी की बेटी की शादी के अवसर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।इस योजना में विवाह के अवसर पर 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जो दो अवसरों पर सहायता की सीमा के अधीन है।

ई.

एफ.

जी.

1 1996 का अधिनियम 2 2009 के नियम

3. प्रत्यर्थी ने 25 रुपये का पंजीकरण शुल्क और 60 रुपये का वार्षिक योगदान जमा करने के बाद अपीलार्थियों से कल्याण बोर्ड के तहत 29 दिसंबर 2011 को श्रम लाभार्थी पहचान पत्र प्राप्त किया।पहचान पत्र 29 दिसंबर 2011 से 28 दिसंबर 2012 तक एक वर्ष की अवधि के लिए वैध था।योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की मांग करते हुए, प्रत्यर्थी ने अपनी बेटी की शादी की प्रत्याशा में 6 नवंबर 2012 को एक आवेदन प्रस्तुत किया जो 24 नवंबर 2012 को होने वाली थी।आवेदन जमा किए जाने के नौ महीने बाद, संयुक्त श्रम आयुक्त, जयपुर ने निर्णय के लिए एक आधार के रूप में तकनीकी दोषों को पाते हुए 327 ऐसे आवेदनों को शामिल करते हुए अस्वीकृति का आदेश जारी किया।आदेश इस प्रकार हैः“इस कार्यालय में प्राप्त आवेदनों की जांच करने पर, निम्नलिखित बिंदु अधूरे पाए जाते हैं जैसे कि अपूर्ण आवेदन पत्र, फॉर्म 'बी' में योजनाकार के प्रमाण पत्र की अपूर्णता, जन्म प्रमाण पत्र की अशुद्धता, विवाह समारोह के बाद आवेदन जमा करना और शपथ पत्र जमा नहीं करना या विवरण पूरा करने के लिए याद दिलाने के लिए आवेदन और पत्र में कुछ जानकारी का अभाव जारी किया गया था, और कार्यालय में इसका कोई जवाब जमा नहीं करने पर, विवाह सहायता राशि प्रदान करना संभव नहीं है, इसलिए निम्नलिखित मामलों में (327 मामलों की सूची संलग्न है) विवाह सहायता के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है।”

बी.

सी.

डी.

ई.

4. प्रत्यर्थी ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच 3 के समक्ष उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई। शिकायत को 6 अक्टूबर 2016 को खारिज कर दिया गया था।अपील में, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 4 ने 20 अगस्त 2019 को जिला मंच के आदेश को अपास्त करना दिया और अपीलार्थियों को शिकायत की स्थापना की तारीख से प्रत्यर्थी को मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये, खर्च के लिए 5,000 रुपये और 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 51,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 5 ने 25 अक्टूबर 2019 के अपने फैसले और आदेश द्वारा इस निर्णय की पुष्टि की, इस आपत्ति को खारिज करते हुए कि प्रत्यर्थी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अर्थ के

भीतर 'उपभोक्ता' नहीं है।हालाँकि, राष्ट्रीय आयोग ने ब्याज की दर को 18 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया।वर्तमान अपील राष्ट्रीय आयोग के आदेश से उत्पन्न हुई है।

एफ.

जी.

3 जिला मंच 4 राज्य आयोग 5 राष्ट्रीय आयोग ए

एच.

183

ज्वाइंट लेबर कमिश्नर। और पंजीकरण अधिकारी बनाम केसर लाल [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

5. 27 जनवरी 2000 को, अपीलार्थियों ने इस न्यायालय के समक्ष कहा कि प्रत्यर्थी को जो राशि दी गई थी, उसका भुगतान किया जाएगा।हालाँकि, अपीलार्थियों ने कानून के सवाल पर जोर दिया।इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का बचाव करने के अपूरणीय बोझ के साथ प्रत्यर्थी , जो एक निर्माण श्रमिक है, पर बोझ डालने के बजाय, हमने विद्वान अधिवक्ता श्री पी. वी. दिनेश से न्यायमित्र के रूप में न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया।हम श्री पी. वी. दिनेश द्वारा न्यायालय को दी गई सक्षम और वस्तुनिष्ठ सहायता की सराहना करना चाहते हैं।

बी.

6. अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. मनीष सिंघवी ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह विद्वान ः

(i) संसद ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 अधिनियमित किया।अधिनियम के तहत एकत्र किया जाने वाला उपकर निधि में योगदान किया जाता है।निधि को 1996 के उपकर अधिनियम के साथ-साथ 1996 के अधिनियम दोनों के तहत परिभाषित किया गया है।जो उपकर एकत्र किया जाता है, वह धारा 24 (1) के तहत गठित कल्याण बोर्ड का एक हिस्सा है।हजारों करोड़ रुपये के उपकर का संग्रह उस कोष का हिस्सा बन जाता है जो निर्माण श्रमिकों को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं द्वारा अनिवार्य रूप से लगाए गए शुल्क से उत्पन्न होता है।

सी.

डी.

((ii) निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के लिए राजस्थान राज्य द्वारा 25 जनवरी 2011 को एक परिपत्र जारी किया गया था।परिपत्र के तहत, प्रासंगिक समय पर, पहचान पत्र तैयार करने के लिए सदस्यता शुल्क के रूप में 25 रुपये की राशि जमा की जानी थी, जबकि 1996 के

अधिनियम की धारा 16 (1) के तहत योगदान के रूप में प्रति वर्ष 60 रुपये लिए जाते थे।24 नवंबर 2015 को सदस्यता को घटाकर 1 रुपये प्रति माह (12 रुपये प्रति वर्ष) कर दिया गया था ताकि पांच साल की अवधि के लिए 60 रुपये का भुगतान किया जा सके।यह योगदान एक टोकन राशि की प्रकृति में है ताकि उन भवन श्रमिकों का पंजीकरण और पहचान सुनिश्चित की जा सके जो 1996 के अधिनियम के तहत लाभ उठा सकते हैं और यहां तक कि इस योगदान को धारा 16 (1) के परंतुक के तहत बोर्ड की संतुष्टि पर छूट दी जा सकती है कि लाभार्थी योगदान का भुगतान करने में असमर्थ है।

ई.

एफ.

जी.

6 उपकर अधिनियम

एच.

184

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 5 एस सी आर।

(iii) 1996 के अधिनियम के तहत लगभग 22,46,904 श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है, जिनमें से लगभग 64,678 ने 2010-11 और 2019-20 के बीच योजना के तहत लाभ उठाया है।एकत्र किए गए 2,671 करोड़ रुपये के उपकर में से लगभग 1,488 करोड़ रुपये कल्याणकारी योजनाओं के लिए खर्च किए गए हैं।कल्याणकारी योजनाओं का वित्त पोषण उपकर द्वारा किया जाता है न कि धारा 16 (1) के तहत किए गए योगदान से।2010 और 2020 के बीच, श्रमिकों का योगदान 27.92 करोड़ रुपये है जो कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की तुलना में बहुत कम है।

बी.

(iv) राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य कल्याणकारी गतिविधियों के तेजी से विस्तार को जारी रखना है।उपकर अधिनियम के तहत एकत्र किया जाने वाला उपकर एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए होता है।उपकर और कुछ नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 366 (28) के तहत एक कर है।

सी.

(v) निस्संदेह, जहां राज्य अपने विविध कार्यों के लिए शुल्क लेता है और सेवाओं को परस्पर लाभ के आधार पर प्रदान किया जाता है, राज्य की गतिविधियाँ उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र

के लिए उत्तरदायी होंगी जब सेवा की कमी की शिकायत की जाती है; (vi) दूसरी ओर, जहां राज्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता है और प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रतीक के रूप में नगण्य राशि ली जाती है, तो किसी सेवा का लाभार्थी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 (डी) के अर्थ के भीतर 'उपभोक्ता' नहीं है।इस तरह की सेवाओं का वित्तपोषण मुख्य रूप से बजटीय आवंटन से किया जाता है।वर्तमान मामले में, हालांकि बोर्ड द्वारा एक सेवा प्रदान की जाती है, कल्याण योजना पर खर्च उस उपकर से चुकाया जाता है जो एकत्र किया जाता है और इसलिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अर्थ में 'सेवा' नहीं है;

डी.

ई.

एफ.

(vii) बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड बनाम सुरेश प्रसाद सिन्हा 7 ("बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड")

जी.

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां एक सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा एक वैधानिक कार्य का निर्वहन किया जा रहा था, उत्तर के मूल्यांकन से व्यथित एक छात्र एक नहीं था

7 (2009) 8 एससीसी 483 ए

एच.

185

ज्वाइंट लेबर कमिश्नर। और पंजीकरण अधिकारी बनाम केसर लाल [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

'उपभोक्ता 'और न ही बोर्ड' सेवा प्रदाता 'था।तर्क की समानता पर, कल्याण बोर्ड उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सेवा प्रदाता नहीं है;

(viii) क्षेत्रीय मामले में इस न्यायालय के दो फैसलों में

भविष्य आयुक्त बनाम शिव कुमार जोशी 8 ("शिव")

कुमार जोशी) और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बनाम भवानी 9, यह अभिनिर्धारित किया गया कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 (1) (ओ) के अर्थ के भीतर एक सेवा प्रदाता है।इन निर्णयों को इस आधार पर अलग करने की कोशिश की जाती है कि ई. पी. एफ. योजना के कोष का योगदान नियोक्ताओं और कर्मचारियों द्वारा किया

जाता है, क्योंकि कर राजस्व में से राज्य का कोई योगदान नहीं होता है।इस बारे में हाल ही में दिए गए एक फैसले में

बी.

सी.

जल संसाधन मंत्रालय बनाम श्रीपत राव कामडे 10 ("श्रीपत राव कामडे") मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि

6 नवंबर 2019 में, यह माना गया है कि एक सरकारी कर्मचारी जो सामान्य भविष्य निधि में योगदान देता है, वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे से बाहर है; और

डी.

(ix) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की इमारत एक दीवानी मुकदमा दायर करने के उपाय के प्रतिस्थापन में एक संविदात्मक या वाणिज्यिक लेनदेन के लिए एक उपाय को संहिताबद्ध करना है।उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियमन में एक ऐसी चोट के लिए एक निवारण तंत्र शामिल नहीं है जो एक वाणिज्यिक या व्यावसायिक लेनदेन के अभाव में होती है।इस अधिनियम में राज्य द्वारा अपने कल्याणकारी कार्यों के निर्वहन में प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल नहीं होंगी जो अत्यधिक सब्सिडी या मुफ्त हैं।

ई.

एफ.

7. न्यायमित्र श्री पी. वी. दिनेश ने अपनी विस्तृत लिखित दलीलों में अपीलार्थियों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के तर्क का खंडन विद्वान है।श्री दिनेश प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम और नियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

जी.

(i) एक निर्माण श्रमिक अधिनियम, नियमों और बनाई गई योजनाओं के तहत एक 'लाभार्थी' है;

8 (2000) 1 एससीसी 98 9 (2008) 7 एससीसी 111

एच.

10 2019 की सिविल अपील संख्या 8472

(ii) धारा 12 के तहत, प्रत्येक कर्मचारी को लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए। धारा 12 (3) में प्रावधान है कि एक आवेदन को दस्तावेजों के साथ जमा किया जाना चाहिए और शुल्क 50 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(iii) धारा 18 राज्य कल्याण बोर्ड के गठन से संबंधित है जो एक निकाय है जिसमें स्थायी उत्तराधिकार और एक आम मुहर है।

बी.

(iv) धारा 24 में श्रमिक कल्याण कोष के गठन की आवश्यकता है जिसमें लाभार्थियों का योगदान जमा किया जाता है।नियम 28 और 43 के प्रावधान धारा 24 को लागू करते हैं।

सी.

(v) नियम 43 (बी) के तहत, एक लाभार्थी द्वारा भुगतान किया गया योगदान निधि का एक हिस्सा है, जिसमें अनुदान, ऋण, बोर्ड द्वारा प्राप्त राशि और केंद्र या राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों और केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा तय किए गए अन्य संसाधनों से अग्रिम राशि शामिल है।

डी.

(vi) नियम 45 प्रत्येक लाभार्थी द्वारा किए जाने वाले योगदान और गैर-योगदान के परिणाम से संबंधित है; (vii) नियम 58,59 और 60 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की अधिसूचना से संबंधित है।

ई.

8. अधिनियम और नियमों के उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर, श्री पी. वी. दिनेश ने प्रस्तुत किया किः

(i) प्रत्येक निर्माण श्रमिक जो अधिनियम और नियमों के तहत लाभार्थी है, श्रमिक कल्याण कोष में योगदानकर्ता है, और जो सेवा प्रदान की जाती है वह निःशुल्क नहीं है;

एफ.

((ii) बोर्ड द्वारा कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाओं को एक संप्रभु कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।राज्य कल्याण बोर्ड एक निगमित निकाय है जो मुकदमा करने और मुकदमा चलाने में सक्षम है।

जी.

(iii) यद्यपि योजना के तहत प्रदान किए गए लाभों के दावे श्रमिक-लाभार्थी के योगदान से अधिक हैं, लेकिन यह यह मानने का कारण नहीं हो सकता है कि यह योगदान नहीं है।

(iv) बीमा दावों को अस्वीकार करने के संदर्भ में, यह न्यायालय ए की धारा 2 (डी) के प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए

एच.

187

ज्वाइंट लेबर कमिश्नर। और पंजीकरण अधिकारी बनाम केसर लाल [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम **1986,** केनरा में आयोजित किया गया है।

बैंक बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **11**

(“ केनरा बैंक ") कि एक लाभार्थी जो अनुबंध का पक्षकार नहीं है, वह भी अधिनियम के तहत एक 'उपभोक्ता' है; (v) वर्तमान मामले में, अपीलार्थियों की ओर से सेवा की भारी कमी थी और कल्याणकारी योजना के तहत लाभों से इनकार आकस्मिक और यांत्रिक था।एक गरीब निर्माण श्रमिक उपभोक्ता न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश था, जिसका सामना इस आधार पर किया गया कि उसके आवेदन के साथ उसकी बेटी की शादी से 90 दिन पहले इसे जमा करने की प्रक्रियात्मक आवश्यकता से छूट के लिए आवेदन नहीं था।दोष, यदि कोई हो, ठीक करने योग्य था और घातक नहीं था; और

बी.

सी.

(vi) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपाय न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए संसद द्वारा किया गया एक मूल्यवान प्रावधान है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में अंतर्निहित उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि किसी निर्माण श्रमिक को एक छोटे से दावे की राहत पाने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत दीवानी न्यायालय या रिट क्षेत्राधिकार से संपर्क करने की आवश्यकता होती है।

डी.

ई.

इस संदर्भ में, निर्णयों पर निर्भरता रखी गई है

लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम एम**.** के**.** गुप्ता **12 (**"लखनऊ विकास प्राधिकरण"**),** शिव कुमार जोशी और पंजाब शहरी योजना और विकास प्राधिकरण **(**अब गलाडा**)** बनाम विद्या चेताल **13 (**"विद्या चेताल"**)**।

एफ.

9. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का अब विश्लेषण किया जाएगा।

10. इन कार्यवाहियों में उठाए गए कानून के विशिष्ट मुद्दों से निपटने से पहले, हम राष्ट्रीय अभियान में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के संदर्भ से शुरुआत करते हैं।

निर्माण श्रम पर केंद्रीय विधान के लिए समिति

जी.

v भारत संघ **14.**इस न्यायालय के फैसले में **1996** के अधिनियम और उपकर अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति पर ध्यान दिया गया। समीक्षा

11 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 132 12 (1994) 1 एससीसी 243 13 (2019) 9 एससीसी 83 14 (2018) 5 एससीसी 607

एच.

देश भर में कार्यान्वयन की स्थिति, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ निर्णय की शुरुआत कीः

" प्रतीकात्मक न्याय**-**असंगठित क्षेत्र के लाखों निर्माण श्रमिकों को देने के लिए और कुछ नहीं है**-**न सामाजिक न्याय**,** न आर्थिक न्याय।इसका कारण काफी सरल है।ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी राज्य सरकार और कोई भी केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन **(**यू**.** टी**.** ए**.)** दोनों कानूनों का पूरी तरह से पालन करने के लिए तैयार नहीं है **(**या शायद पूरी तरह से पालन करने और पालन करने में भी सक्षम है**)**।

बी.

संसद, अर्थात्, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम) और भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम)।

सी.

दोनों कानूनों को लागू करने के लिए इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का दंड से मुक्ति के साथ उल्लंघन किया गया है।

समान रूप से दुखद बात यह है कि बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 60 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कई निर्देशों की राज्य सरकारों और यू. टी. ए. द्वारा अवहेलना की गई है-और इसे इस न्यायालय में विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए एक बयान में स्पष्ट रूप से स्वीकार विद्वान गया है।

डी.

शपथ पत्र पर भारत का।उम्मीद है कि संवैधानिक और संघीय संदर्भ में स्थिति की गंभीरता, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के संदर्भ में किसी को कहीं न कहीं और कभी न कभी एहसास होगा।"

ई.

(जोर दिया गया) न्यायालय ने कहा कि उपकर अधिनियम के तहत निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए 37,400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्र की गई है, जिसमें से केवल 9,500 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग उनके लाभ के लिए किया गया है।न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 39 और 42 में निहित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को लागू करने और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार को लागू करने के लिए बनाए गए थे।न्यायालय ने कहा कि निर्माण श्रमिकों के लिए निर्धारित धन खर्च नहीं किया गया है और देश भर में कल्याण बोर्डों के संबंध में चौंकाने वाली स्थिति के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर सामने आती है।न्यायालय ने कहाः

एफ.

जी.

"...कुल मिलाकर, हलफनामों ने एक चौंकाने वाली स्थिति की स्पष्ट तस्वीर दी

कुछ कल्याण बोर्डों ने संग्रहित उपकर से प्रवेश कर/मूल्य ए के भुगतान के लिए व्यय किया था।

एच.

189

ज्वाइंट लेबर कमिश्नर। और पंजीकरण अधिकारी बनाम केसर लाल [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

अतिरिक्त कर**,** निर्माण श्रमिकों के लिए कपड़े धोने की मशीनों की खरीद और निर्माण श्रमिकों के लिए लैपटॉप की खरीद।इस न्यायालय ने पाया कि यह आश्चर्यजनक है क्योंकि यह प्रकट हुआ था

कि निर्माण श्रमिकों को कपड़े धोने की मशीन और लैपटॉप प्रदान करने में कोई तर्क नहीं था, जो बड़े पैमाने पर गरीब और अशिक्षित के साथ-साथ प्रवासी श्रमिक भी थे।

बी.

(जोर दिया गया) निर्माण श्रमिकों की कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कहाः

“जो बात स्थिति को और भी बदतर बनाती है वह यह है कि माना जाता है कि कई निर्माण श्रमिक महिलाएं हैं और उनमें से कम से कम कुछ के छोटे बच्चे हैं जिनकी देखभाल करनी है।यह कि वे भी आधिकारिक उदासीनता के शिकार हैं, वास्तव में एक बहुत ही दुखद स्थिति को दर्शाता है, और पहले से ही उन्हें और अन्य निर्माण श्रमिकों को हुए नुकसान को ठीक नहीं किया जा सकता है।इसका कारण यह है कि यह ज्ञात नहीं है कि कौन सा निर्माण श्रमिक पैसे के मामले में कितना पाने का हकदार है या क्या लाभ और किस योजना के तहत।हो सकता है कि 1990 के दशक और उसके बाद भी इनमें से कुछ निर्माण श्रमिकों की दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई हो या उनका पता नहीं चल सका हो या उनकी उम्र इतनी हो कि वे पेंशन के योग्य हो सकें।इसलिए सवाल यह हैःउन हजारों करोड़ का क्या किया जाना चाहिए जो निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए एकत्र किए गए हैं लेकिन उनका उपयोग उनके लाभ के लिए नहीं किया जा सकता है?क्या राज्य सरकारें और यू. टी. ए. या कल्याण बोर्ड अन्यायपूर्ण तरीके से लाभ उठा सकते हैं और अज्ञात और असहाय निर्माण श्रमिकों की कीमत पर अपने खजाने भर सकते हैं, जिनमें से कुछ महिलाएं हैं और कुछ के छोटे बच्चे हैं?ये ऐसे सवाल हैं जिनके लिए हमें कोई जवाब नहीं दिया गया है-यह पूरी तरह से भारत सरकार और संसद को तय करना है कि इन हजारों करोड़ रुपये को कानूनी रूप से कैसे लगाया जाए और फिर इस राशि का उपयोग निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए किया जाए, कम से कम भविष्य के लिए, यह मानते हुए कि अतीत के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है।यह एक विशाल कार्य है जिसके लिए शक्तियों को खुद को तैयार करना चाहिए, अगर वे कई कमजोरियों वाले लोगों की सहायता करने के लिए गंभीर हैं।”

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एकत्र किए गए उपकर का उपयोग करने में विफलता के संबंध में निर्णय में राजस्थान राज्य की स्थिति का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था।फैसले में कहा गया कि हालांकि 2011-12 में, 154.01 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की गई थी, लेकिन खर्च के लिए कोई आंकड़ा नहीं था।

एच.

प्रस्तुत किया।2012-13 के लिए, 173.83 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की गई, जबकि विभिन्न योजनाओं के लिए किया गया खर्च केवल 11.95 करोड़ रुपये था।2013-14 में 1 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की गई थी, जिसमें से केवल 2 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

11. अपीलार्थियों को कल्याण कानून के प्रावधानों को लागू करने और लागू करने का गंभीर कर्तव्य सौंपा गया है जो विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों की दुर्दशा को कम करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।निर्माण श्रमिक अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र से संबंधित हैं। इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं।बाल श्रम सर्वव्यापी है।उनकी कमजोरियों को एक ऐसे कानून द्वारा संरक्षित करने का प्रयास किया गया है जिसे दुर्भाग्य से न तो अक्षर में, न ही भावना में लागू किया गया है।फिर भी, हमारे पास वर्तमान मामले में, एक वैधानिक कल्याण बोर्ड का तमाशा है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्रदान किए गए उपचारों के प्रति जवाबदेह होने से खुद को मुक्त करने की मांग कर रहा है।न्यायालय के समक्ष जिस निवेदन का आग्रह किया गया है, सरल शब्दों में कहें तो वह इस पर निर्भर करता हैःसेवा के लाभार्थी योगदान के रूप में इतनी कम राशि का भुगतान करते हैं कि उन्हें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 (डी) के अर्थ के भीतर 'उपभोक्ता' नहीं माना जा सकता है।यही वह निवेदन है जो अब विचार के लिए आता है।

बी.

सी.

डी.

12. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 (डी) में निम्नलिखित प्रावधान हैंः

ई.

“(घ) "उपभोक्ता" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो-(i) भुगतान किए गए या वादा किए गए या आंशिक रूप से भुगतान किए गए और आंशिक रूप से वादा किए गए प्रतिफल के लिए या विलंबित भुगतान की किसी प्रणाली के तहत कोई भी वस्तु खरीदता है और इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसी वस्तु का कोई भी उपयोगकर्ता शामिल है जो भुगतान किए गए या वादा किए गए या आंशिक रूप से भुगतान किए गए या आंशिक रूप से वादा किए गए प्रतिफल के लिए ऐसी वस्तु खरीदता है, या विलंबित भुगतान की किसी प्रणाली के तहत जब ऐसा उपयोग ऐसे व्यक्ति की मंजूरी से किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो पुनर्विक्रय के लिए या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसी वस्तु प्राप्त करता है; या

एफ.

जी.

((ii) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका भुगतान या वादा किया गया है या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है और आंशिक रूप से वादा किया गया है, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत, किसी भी सेवा को नियुक्त करता है या उसका लाभ उठाता है और इसमें ए के अलावा ऐसी सेवाओं का कोई भी लाभार्थी शामिल है।

एच.

191

ज्वाइंट लेबर कमिश्नर। और पंजीकरण अधिकारी बनाम केसर लाल [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

वह व्यक्ति जो भुगतान किए गए या वादा किए गए, या आंशिक रूप से भुगतान किए गए और आंशिक रूप से वादा किए गए, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत सेवाओं पर विचार करने के लिए [नियुक्त करता है या लाभ उठाता है], जब ऐसी सेवाओं का लाभ पहले उल्लिखित व्यक्ति के अनुमोदन से लिया जाता है [लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए ऐसी सेवाओं का लाभ उठाता है];

बी.

[स्पष्टीकरण।—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वाणिज्यिक उद्देश्य" में किसी व्यक्ति द्वारा खरीदी गई और उपयोग की गई वस्तुओं का उपयोग और उसके द्वारा विशेष रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाएं शामिल नहीं हैं।

सी.

किसी सेवा के संबंध में, अभिव्यक्ति की परिभाषा में पहले भाग में कोई भी व्यक्ति शामिल है जो किसी ऐसे प्रतिफल के लिए किसी सेवा को नियुक्त करता है या उसका लाभ उठाता है जिसका भुगतान या वादा किया गया है (पूरी तरह से या आंशिक रूप से)।इसके बाद के घटक में, परिभाषा में उस व्यक्ति के अलावा ऐसी सेवा का लाभार्थी शामिल है जो वास्तव में भुगतान या वादे के लिए सेवा का लाभ उठाता है, जब तक कि ऐसी सेवाओं का लाभ उस व्यक्ति के अनुमोदन से लिया जाता है जो सेवा को नियुक्त करता है या लाभ उठाता है।धारा 2 (घ) (ii) में अभिव्यक्ति के पहले घटक की सीमा का विस्तार बाद के घटक में समावेशी परिभाषा द्वारा किया गया है।यह दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में देखा गया था

डी.

ई.

लखनऊ विकास प्राधिकरण में यह न्यायालय जहाँ न्यायमूर्ति आर. एम.

सहाय ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए धारा 2 (डी) के दायरे को समझायाः“यह दो भागों में है।पहला माल से संबंधित है और दूसरा सेवाओं से संबंधित है।दोनों भाग व्यापक अभिव्यक्तियों का उपयोग करके पहले वस्तुओं और सेवाओं के अर्थ की घोषणा करते हैं।समावेशी खंड के उपयोग से उनका दायरा और बढ़ाया जाता है।उदाहरण के लिए, यह न केवल माल का खरीदार या सेवाओं का किरायेदार है, बल्कि वे लोग भी हैं जो माल का उपयोग करते हैं या जो माल खरीदने वाले व्यक्ति की मंजूरी से सेवाओं के लाभार्थी हैं या जिन्होंने सेवाओं को किराए पर लिया है, वे भी इसमें शामिल हैं।

एफ.

जी.

सार्वजनिक प्राधिकरणों की जवाबदेही पर जोर देते हुए, न्यायालय ने कहाः

“हमारे संविधान के तहत संप्रभुता लोगों में निहित है।संवैधानिक तंत्र का प्रत्येक अंग जन-उन्मुख होने के लिए बाध्य है।वैधानिक शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई भी पदाधिकारी दावा नहीं कर सकता है।

एच.

कानून द्वारा संरक्षित सीमा को छोड़कर, प्रतिरक्षा।संवैधानिक या वैधानिक प्रावधानों का दमनकारी तरीके से उल्लंघन करने वाले सार्वजनिक अधिकारी कानून के तहत बनाए गए अधिकारियों जैसे आयोग या अदालतों के समक्ष अपने व्यवहार के लिए जवाबदेह होते हैं जिन्हें कानून के शासन को बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है।अधिनियम में प्रत्येक पदानुक्रम को वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य और मुआवजे के लिए उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत पर विचार करने का अधिकार है।

बी.

शिव कुमार जोशी के मामले में, इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सदस्य द्वारा भविष्य निधि आयुक्त के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपायों का आह्वान स्वीकार्य है।न्यायालय ने अभिनिर्धारित

किया कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एक वैधानिक कार्य का निर्वहन करता है और उसे राज्य की किसी भी संप्रभु शक्ति के साथ प्रत्यायोजित नहीं किया जाता है।उस संदर्भ में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

सी.

डी.

"...अधिनियम के तहत "उपभोक्ता" की परिभाषा में न केवल वह व्यक्ति शामिल है जो "सेवाओं" को विचार के लिए काम पर रखता है, बल्कि वह लाभार्थी भी शामिल है, जिसके लाभों के लिए ऐसी सेवाओं को काम पर रखा जाता है।यदि यह भी माना जाता है कि प्रशासनिक शुल्क केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है और इसका कोई भी हिस्सा कर्मचारी द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, तो योजना चलाने में भविष्य निधि आयुक्त की सेवाओं का लाभ केंद्र सरकार द्वारा उन कर्मचारियों के लाभ के लिए लिया गया माना जाएगा, जिन्हें "उपभोक्ता" की परिभाषा में उपयोग किए गए शब्द के अर्थ के भीतर लाभार्थी माना जाएगा।

ई.

न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि ई. पी. एफ. योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं और इसलिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सेवा के रूप में योग्य नहीं होंगी।विद्या चेतल मामले में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने भी यही विचार दोहराया है।हुडा बनाम सुनीता 15 में दो न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय की शुद्धता के संबंध में व्यक्त किए गए संदेह पर तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष संदर्भ उत्पन्न हुआ।मुद्दा यह था कि क्या राष्ट्रीय आयोग के पास संयोजन शुल्क की मांग की वैधता और एक चुनौती पर विस्तार शुल्क तय करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

एफ.

जी.

15 (2005) 2 एससीसी 479 ए

एच.

193

ज्वाइंट लेबर कमिश्नर। और पंजीकरण अधिकारी बनाम केसर लाल [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

सेवा में कमी।धारा 2 (1) (ओ) 16 में 'सेवा' अभिव्यक्ति की परिभाषा का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

“यह परिभाषा संपूर्ण नहीं है, बल्कि विधायिका ने मामले-दर-मामले के आधार पर प्रावधान का विस्तार करने का काम न्यायपालिका पर छोड़ दिया है।एक विस्तृत सूची प्रदान किए बिना इस प्रावधान को खुला छोड़ने का उद्देश्य एक उदार व्याख्या की आवश्यकता को इंगित करता है। मोटे तौर पर, इसमें उन सभी सेवाओं को शामिल किया गया है जो एक विचार के लिए की जाती हैं, सिवाय मुफ्त सेवाओं और व्यक्तिगत सेवाओं के अनुबंध को छोड़कर।इसके अलावा, उपरोक्त प्रावधान "उपभोक्तावाद" को बढ़ावा देने के विधायी इरादे को दर्शाता है।यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस तरह की घटना का सरकारी उपक्रमों पर एक लाभकारी प्रभाव पड़ा है, जिसमें नवाचार, जवाबदेही और पारदर्शिता की एक नई गतिशीलता निहित है।”

बी.

सी.

न्यायमूर्ति एन. वी. रमन्ना ने तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि सभी वैधानिक दायित्व संप्रभु कार्य नहीं हैं।हालाँकि संप्रभु कार्यों/सेवाओं को एक संवैधानिक/वैधानिक ढांचे के तहत विनियमित और निष्पादित किया जाता है, फिर भी अन्य कार्य हैं, जो वैधानिक हो सकते हैं, लेकिन इन्हें संप्रभु कार्य नहीं कहा जा सकता है।न्यायालय ने कहाः

डी.

“.....यदि मुख्य संप्रभु कर्तव्यों के अलावा वैधानिक प्राधिकरण सेवा प्रदान कर रहा है, जो अधिनियम के तहत शामिल है, तो जब तक कोई कानून सेवा में कमी के लिए छूट नहीं देता है, या प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है, या विशेष रूप से एक वैकल्पिक मंच प्रदान नहीं करता है, तब तक उपभोक्ता मंचों के पास इससे निपटने का अधिकार क्षेत्र बना रहेगा।हमें सावधान रहने की आवश्यकता है

ई.

अति-समावेशिता और न्यायाधिकरणों को क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से पहले उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के तहत सामग्री को संतुष्ट करने की आवश्यकता है।”

एफ.

न्यायालय के दृष्टिकोण सेः

“इसलिए, यह एक स्पष्ट रूप से स्थापित सिद्धांत है कि कुछ वैधानिक बकाया, जैसे शुल्क, एक विशिष्ट संबंध से उत्पन्न हो सकते हैं।

जी.

16 2.(1)(ओ) "सेवा" से किसी भी विवरण की सेवा अभिप्रेत है जो संभावित उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है और इसमें बैंकिंग, वित्तपोषण, बीमा, परिवहन, प्रसंस्करण, विद्युत या अन्य ऊर्जा की आपूर्ति, आवास या आवास या दोनों, आवास निर्माण, मनोरंजन, मनोरंजन या समाचार या अन्य जानकारी के संबंध में सुविधाओं का

प्रावधान शामिल है, लेकिन इसमें किसी भी सेवा को मुफ्त में या व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के तहत प्रदान करना शामिल नहीं है।

एच.

इस तरह के वैधानिक बकाया को किसी विशेषाधिकार के लिए या प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए प्रतिदान के रूप में लिया जा सकता है।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ऐसे एक्सैक्शन हैं जो सामान्य बोझ के लिए हैं, जैसे कर, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बकाया है, जैसे उपकर, और प्रदान की गई एक विशिष्ट सेवा के बदले में बकाया हैं।इसलिए, उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि सभी वैधानिक बकाया/एक्सैक्शन उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, बल्कि केवल वे एक्सैक्शन जो प्रदान की गई सेवा के लिए वसूल किए जाते हैं, उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होंगे।"

बी.

केनरा बैंक में दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ ने सेवाओं का लाभ उठाने या भर्ती करने के संबंध में धारा 2 (डी) (ii) में निहित परिभाषा के विस्तार के बारे में विस्तार से बताया है।पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने कहाः

सी.

".....जहाँ तक सेवाओं को काम पर रखने या उनका लाभ उठाने के संबंध में उपभोक्ता की परिभाषा का संबंध है, हमारे विचार में यह परिभाषा बहुत व्यापक है।खंड के इस भाग में, उपभोक्ता में न केवल वह व्यक्ति शामिल है जिसने सेवाओं को काम पर रखा है या उनका लाभ उठाया है, बल्कि ऐसी सेवाओं का कोई भी लाभार्थी भी शामिल है।इसलिए, एक बीमित व्यक्ति वह व्यक्ति हो सकता है जो बीमा कंपनी की सेवाओं को नियुक्त करता है या उनका लाभ उठाता है, लेकिन कई अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं जो सेवाओं के लाभार्थी हो सकते हैं।यह आवश्यक नहीं है कि वे लाभार्थी बीमा अनुबंध के पक्षकार हों।वे उपभोक्ता इसलिए नहीं हैं कि वे बीमा अनुबंध के पक्षकार हैं, बल्कि इसलिए हैं कि वे बीमित व्यक्ति द्वारा ली गई पॉलिसी के लाभार्थी हैं।"

डी.

ई.

एफ.

परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि बीमा अनुबंध के संदर्भ में किसी सेवा के लाभार्थी को अनुबंध का पक्षकार होने की आवश्यकता नहीं है।लाभार्थी 'उपभोक्ता' अभिव्यक्ति के दायरे में आते हैं।

बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड में, प्रश्न

जी.

न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि क्या कोई सांविधिक विद्यालय परीक्षा बोर्ड उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे में आता है जब वह परीक्षा आयोजित करने का सांविधिक कार्य करता है।इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि एक छात्र द्वारा परीक्षा के संचालन के लिए बोर्ड को भुगतान किया गया शुल्क एक सेवा के लिए भुगतान किए गए 'प्रतिफल' के बराबर नहीं है।न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहाः

एच.

195

ज्वाइंट लेबर कमिश्नर। और पंजीकरण अधिकारी बनाम केसर लाल [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

“जब परीक्षा बोर्ड अपने वैधानिक कार्य के निर्वहन में एक परीक्षा आयोजित करता है, तो यह किसी भी उम्मीदवार को अपनी "सेवाएं" प्रदान नहीं करता है।न ही कोई छात्र जो बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेता है, विचार के लिए बोर्ड से किसी भी सेवा को नियुक्त करता है या उसका लाभ उठाता है।दूसरी ओर, एक उम्मीदवार जो बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेता है, वह व्यक्ति है जिसने अध्ययन का एक पाठ्यक्रम पूरा किया है और जो बोर्ड से अनुरोध करता है कि वह उसका परीक्षण करे कि क्या उसने शिक्षा का उक्त पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं; और यदि ऐसा है, तो अन्य उम्मीदवारों की तुलना में उसकी स्थिति या रैंक या क्षमता निर्धारित करें।द.

बी.

इसलिए, प्रक्रिया किसी छात्र द्वारा किसी सेवा का लाभ उठाना नहीं है, बल्कि यह पता लगाने के लिए कि क्या वह माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए योग्य और योग्य है, बोर्ड द्वारा आयोजित एक सामान्य परीक्षा में भाग लेना है।छात्र द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए नहीं है, बल्कि परीक्षा में भाग लेने के विशेषाधिकार के लिए भुगतान किया गया शुल्क है।”

सी.

डी.

(जोर दिया गया) श्रीपत राव कामडे में, न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या सामान्य भविष्य निधि का अभिदाता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अर्थ के भीतर 'उपभोक्ता' होने की परिभाषा को पूरा करता है।इस मुद्दे पर पहले के एक फैसले में विचार किया गया था।

ई.

जगमितर सैन भगत बनाम निदेशक, स्वास्थ्य सेवा मामले में न्यायालय,

हरियाणा 17, और नकारात्मक में जवाब दिया गया, यह मानते हुए कि एक सरकारी कर्मचारी सेवा की शर्तों और वैधानिक नियमों को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार सख्ती से सेवानिवृत्ति लाभों का दावा करने का हकदार है, जिसके लिए निवारण के लिए उपयुक्त मंच राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, यदि कोई हो, या दीवानी न्यायालय होगी, लेकिन उपभोक्ता मंच नहीं। यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

एफ.

"... यह स्पष्ट है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों के बारे में या ग्रेच्युटी या जी**.** पी**.** एफ**.** या अपने किसी भी सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के लिए अधिनियम के तहत किसी भी मंच के समक्ष कोई विवाद नहीं उठा सकता है। सरकारी कर्मचारी अधिनियम की धारा **2 (1) (**डी**) (ii)** के तहत परिभाषित "उपभोक्ता" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

जी.

एच.

17 (2013) 10 एससीसी 136

ऐसा सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों और विनियमों या उस उद्देश्य के लिए बनाए गए वैधानिक नियमों के अनुसार सख्ती से अपने सेवानिवृत्ति लाभों का दावा करने का हकदार है। उसकी किसी भी शिकायत के निवारण के लिए उपयुक्त मंच राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, यदि कोई हो, या दीवानी न्यायालय हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से अधिनियम के तहत एक मंच नहीं हो सकता है।

बी.

(जोर देते हुए कहा गया) इस निर्णय का पालन श्रीपत राव कामडे की दो न्यायाधीशों की पीठ ने किया।न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने कहा कि पहले के फैसले को देखते हुए, जी. पी. एफ. के तहत देय बकाया के संबंध में उपभोक्ता शिकायत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उत्तरदायी नहीं थी। 13.अब इस संदर्भ में 1996 के अधिनियम के प्रावधानों के बारे में संक्षेप में विज्ञापन देना आवश्यक है।'लाभार्थी' शब्द को धारा 2 (बी) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है 'धारा 12 के तहत पंजीकृत एक भवन श्रमिक'।'निधि' पद को धारा 2 (के) में 'धारा 24 की उप-धारा (1) के तहत गठित बोर्ड का भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण निधि' के रूप में परिभाषित किया गया है।धारा 11 निधि के लाभार्थियों के बारे में बताती हैः

सी.

डी.

“11. कोष के लाभः-इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, इस अधिनियम के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत प्रत्येक भवन श्रमिक इस अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा अपने कोष से प्रदान किए गए लाभों का हकदार होगा।

ई.

इसलिए, प्रत्येक भवन निर्माण कर्मचारी जो अधिनियम के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत है, वह निधि से बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए लाभों का हकदार है।धारा 16 में एक भवन निर्माण कर्मचारी से योगदान करने की अपेक्षा की गई है जिसे लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया गया हैः

एफ.

“16. भवन निर्माण श्रमिकों का योगदानः- (1) एक भवन निर्माण कर्मी

जो इस अधिनियम के तहत एक लाभार्थी के रूप में पंजीकृत है, वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, निधि में प्रति माह ऐसी दर से योगदान करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट की जाए और विभिन्न वर्गों के भवन श्रमिकों के लिए योगदान की विभिन्न दरों को निर्दिष्ट किया जा सकता हैः

जी.

बशर्ते कि बोर्ड, यदि संतुष्ट हो कि कोई लाभार्थी किसी भी वित्तीय कठिनाई के कारण अपने योगदान का भुगतान करने में असमर्थ है, तो एक बार में तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए योगदान का भुगतान माफ कर सकता है।

एच.

197

ज्वाइंट लेबर कमिश्नर। और पंजीकरण अधिकारी बनाम केसर लाल [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

(2) एक लाभार्थी अपने नियोक्ता को अपने मासिक वेतन से अपने योगदान को काटने और ऐसी कटौती से पंद्रह दिनों के भीतर बोर्ड को भेजने के लिए अधिकृत कर सकता है।"

धारा 16 की उप-धारा (1) के तहत एक वर्ष से कम की निरंतर अवधि के लिए योगदान का भुगतान न करने का प्रभाव यह है कि धारा 17 के तहत व्यक्ति लाभार्थी नहीं रह जाता है। हालांकि, परंतुक के तहत, एक व्यक्ति जो चूक में है, उसे बकाया जमा करने की परंतुक है यदि योगदान का भुगतान न करने के संबंध में बोर्ड के सचिव को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त आधार था, जिस पर पंजीकरण बहाल होना है।धारा 18 राज्य कल्याण बोर्डों के गठन का प्रावधान करती है।धारा 22 बोर्ड के कार्यों के लिए निम्नलिखित शर्तों का प्रावधान करती हैः

बी.

सी.

"22. बोर्डों के कार्यः-(1) बोर्ड कर सकता है -

(क) दुर्घटना की स्थिति में लाभार्थी को तत्काल सहायता प्रदान करना;

(ख) साठ वर्ष की आयु पूरी करने वाले लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान करना;

डी.

(ग) किसी लाभार्थी को घर के निर्माण के लिए ऐसी राशि और ऐसी शर्तों पर ऋण और अग्रिम राशि स्वीकृत करें जो निर्धारित की जाए; (घ) लाभार्थियों की समूह बीमा योजना के लिए प्रीमियम के संबंध में ऐसी राशि का भुगतान करें जो निर्धारित की जाए।

ई.

(ङ) लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा के लिए ऐसी वित्तीय सहायता देना जो निर्धारित की जाए।

एफ.

(च) किसी लाभार्थी या ऐसे आश्रित की प्रमुख बीमारियों के उपचार के लिए ऐसे चिकित्सा खर्चों को पूरा करें, जो निर्धारित किए जाएं;

(छ) महिला लाभार्थियों को प्रसूति लाभ का भुगतान करना; और

जी.

(ज) ऐसे अन्य कल्याणकारी उपायों और सुविधाओं का प्रावधान और सुधार करना जो निर्धारित किए जाएं।

(2) बोर्ड किसी भी प्रतिष्ठान में भवन निर्माण श्रमिकों के कल्याण से जुड़े उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना की सहायता के लिए स्थानीय प्राधिकरण या नियोक्ता को ऋण या सब्सिडी प्रदान कर सकता है।

एच.

(3) बोर्ड किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी ऐसे नियोक्ता को वार्षिक सहायता अनुदान का भुगतान कर सकता है जो भवन निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानक के कल्याण उपायों और सुविधाओं की संतुष्टि के लिए प्रदान करता है, हालांकि, किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या नियोक्ता को सहायता अनुदान के रूप में देय राशि-
(ए) राज्य सरकार या इस संबंध में उसके द्वारा निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित कल्याणकारी उपायों और सुविधाओं को प्रदान करने में खर्च की गई राशि से अधिक नहीं होगी, या

बी.

((ख) ऐसी राशि जो विहित की जाए।जो भी कम हो:बशर्ते कि ऐसे किसी भी कल्याणकारी उपाय और सुविधाओं के संबंध में कोई सहायता अनुदान देय नहीं होगा, जहां उस पर खर्च की गई राशि इस संबंध में निर्धारित राशि से कम है।"

सी.

धारा 24 के तहत, क़ानून ने एक कल्याणकारी निधि के गठन के लिए प्रावधान किया है जिसमें (i) केंद्र सरकार द्वारा बोर्ड को दिए गए अनुदान और ऋण; (ii) लाभार्थियों द्वारा किए गए योगदान; और (iii) केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए अन्य स्रोतों से बोर्ड द्वारा प्राप्त राशि जमा की जाती है।निधि उप-धारा के तहत लागू की जाती है।

डी.

ई.

(2) अपने वैधानिक कार्यों के निर्वहन में बोर्ड के खर्चों को पूरा करने के लिए; वेतन, भत्ते और पारिश्रमिक के भुगतान के लिए और अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों पर और उद्देश्यों के लिए खर्चों को पूरा करने के लिए। 2009 के नियम नियम बनाने की शक्ति को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के संदर्भ में बनाए गए हैं।नियम 43 में कल्याण कोष के गठन का प्रावधान है।नियम 44 में भवन निर्माण श्रमिकों को लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत करने का प्रावधान है।नियम 45 निधि में योगदान के लिए प्रावधान करता है:

एफ.

“45. कोष में योगदान।-(1) निधि का एक लाभार्थी

निधि में प्रति वर्ष ऐसी दर से योगदान करेगा जिसे अधिनियम की धारा 16 के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। यह योगदान तीन महीने में एक बार उस जिले में बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी भी बैंक में अग्रिम रूप से प्रेषित किया जाएगा जिसमें सदस्य रहता है।

जी.

(2) यदि कोई लाभार्थी एक वर्ष की अवधि के लिए लगातार योगदान के भुगतान में चूक करता है, तो वह ए नहीं रहेगा।

एच.

199

ज्वाइंट लेबर कमिश्नर। और पंजीकरण अधिकारी बनाम केसर लाल [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

निधि के लाभार्थी।हालांकि, सचिव या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत एक अधिकारी की अनुमति से सदस्यता को 2 रुपये प्रति माह के जुर्माने के साथ योगदान के बकाया के पुनर्भुगतान पर इस शर्त के साथ फिर से शुरू किया जा सकता है कि इस तरह की बहाली को दो बार से अधिक की अनुमति नहीं दी जाएगी।” नियम 52 निधि से व्यय का प्रावधान करता है।नियम 58 के तहत, बोर्ड को लाभों के संबंध में योजनाओं को अधिसूचित करने का अधिकार है।बोर्ड को विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं जिन्हें धारा 22 में परिभाषित किया गया है।ये कार्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 (1) (ओ) के अर्थ के भीतर 'सेवा' अभिव्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।'सेवा' अभिव्यक्ति को व्यापक संभव शब्दों में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है 'किसी भी विवरण की सेवा जो संभावित उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराई गई है'। धारा 2 (1) (ओ) में अपवाद एक ऐसी सेवा है जो निःशुल्क प्रदान की जाती है।1996 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत श्रमिक बोर्ड द्वारा बनाई गई योजनाओं के लाभार्थी हैं। पंजीकरण के बाद, प्रत्येक कर्मचारी को प्रति माह ऐसी दर से निधि में योगदान करना आवश्यक है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए।जिस कोष में अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा योगदान प्रेषित किया जाता है, उसमें अन्य स्रोतों के साथ-साथ लाभार्थियों द्वारा किया गया योगदान भी शामिल होता है।इस निधि का उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ कानून द्वारा अधिकृत उद्देश्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है।वैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड द्वारा लाभार्थियों को दी जाने वाली सेवाएं ऐसी सेवाएं नहीं हैं जो निःशुल्क प्रदान की जाती हैं ताकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 (1) (ओ) और धारा 2 (डी) (2) में निहित वैधानिक परिभाषा से अपवर्जन का गठन किया जा सके।वास्तविक परीक्षा यह नहीं है कि लाभार्थी द्वारा योगदान की गई राशि

योजना के तहत परिकल्पित व्यय की पूरी लागत का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है या नहीं।जब तक प्रदान की गई सेवा निःशुल्क प्रदान नहीं की जाती है, तब तक सेवा की कोई भी कमी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित निवारण मंचों के लिए उत्तरदायी है। अधिनियम में इस बात की जांच की आवश्यकता नहीं है कि क्या सेवा प्रदान करने की लागत पूरी तरह से सेवा का लाभ उठाने के लिए भुगतान की गई कीमत से अलग है।जैसा कि हमने धारा 2 (1) (डी) में निहित परिभाषा से देखा है, एक 'उपभोक्ता' में न केवल एक व्यक्ति शामिल है जिसने सेवा को काम पर रखा है या उसका लाभ उठाया है, बल्कि एक सेवा का लाभार्थी भी शामिल है।पंजीकृत कर्मचारी स्पष्ट रूप से बोर्ड द्वारा वैधानिक क्षमता में प्रदान की जाने वाली सेवा के लाभार्थी हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

14. व्याख्या के रूप में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निहित प्रावधानों का अर्थ उद्देश्यपूर्ण तरीके से लगाया जाना चाहिए।संसद ने वस्तुओं और सेवाओं दोनों के उपभोक्ताओं को एक हितकारी उपाय प्रदान किया है।संसद के एक अधिनियम के तहत गठित किए गए अपीलार्थियों जैसे सार्वजनिक प्राधिकरणों को पंजीकृत श्रमिकों को कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने का एक गंभीर कर्तव्य सौंपा गया है।बोर्ड के साथ पंजीकृत कर्मचारी योगदान करते हैं जिसके आधार पर वे बोर्ड द्वारा अधिसूचित योजनाओं के संदर्भ में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाने के हकदार होते हैं।सार्वजनिक जवाबदेही एक महत्वपूर्ण विचार है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों को रेखांकित करता है।अधिनियम के संबंध में न्यायशास्त्र का विकास गैर-संप्रभु कार्यों के निर्वहन के संदर्भ में उपभोक्ताओं को निवारण की अनुमति देकर सार्वजनिक जवाबदेही की भावना सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दर्शाता है जो मुफ्त में प्रदान नहीं किए जाते हैं।यह परीक्षण वर्तमान मामले में विधिवत पूरा किया जाता है।

बी.

सी.

15. नतीजतन, और जिन कारणों से हमने संकेत दिया है, राष्ट्रीय आयोग के आदेश द्वारा ब्याज दर में संशोधन के अधीन, दावा देने के राज्य आयोग के अंतिम निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।तदनुसार अपील खारिज कर दी जाएगी।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

डी.

ई.

दिव्या पांडे

याचिका खारिज कर दी गई।

एफ.

जी.

एच.